

राजस्थान सरकार  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2017

जयपुर, दिनांक: 13.07.2017

अतिरिक्त आवंटन आदेश माह जुलाई, 2017  
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

जिला कलक्टर (रसद), बून्दी के पत्र क्रमांक रसद/17/807 दिनांक 07.07.2017 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत माह जुलाई, 2017 के लिए 1066.80 मै0टन गेहूं के अतिरिक्त आवंटन की मांग के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत विभागीय समसंख्यक आवंटन आदेश दिनांक 15.06.2017 द्वारा माह जुलाई, 2017 के आवंटन आदेश के क्रम में माह जुलाई, 2017 हेतु जिला बून्दी को 1,066.8 मै0 टन का अतिरिक्त आवंटन किया जाता है शेष अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(आकाश तोमर)  
उपायुक्त (द्वितीय)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलक्टर, बून्दी।
5. महाप्रबन्धक, (क्षेत्र) क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, 4 नेहरू प्लेस, टॉक रोड जयपुर को भेजकर लेख है कि बून्दी जिले को आवंटित अतिरिक्त खाद्यान्न की मात्रा की राशि जमा करने एवं उठाव की अवधि दिनांक 15.07.2017 तक बढ़ाने का श्रम करें।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि0, जयपुर।
7. जिला रसद अधिकारी, बून्दी को प्रेषित कर लेख है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अतिरिक्त आवंटित गेहूं की मात्रा का निश्चित अवधि में राशि जमा कराकर उठाव सुनिश्चित कराये।
8. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. जयपुर को भेजकर लेख है कि जिला बून्दी को उनके द्वारा भेजे गये पत्र (संलग्न) में उल्लेखित उचित दुकानवार अतिरिक्त खाद्यान्न की मात्रा का ऑनलाईन आवंटन करने का श्रम करें।
9. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को संबंधित को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाईटर का अपलोड करने हेतु।
10. रक्षा पत्रिका।

उपायुक्त (द्वितीय)

राजस्थान सरकार  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2017

जयपुर, दिनांक: 13.07.2017

अतिरिक्त आवंटन आदेश माह जुलाई, 2017  
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

जिला कलक्टर (रसद), बून्दी के पत्र क्रमांक रसद/17/807 दिनांक 07.07.2017 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत माह जुलाई, 2017 के लिए 1066.80 मै0टन गेहूं के अतिरिक्त आवंटन की मांग के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत विभागीय समसंख्यक आवंटन आदेश दिनांक 15.06.2017 द्वारा माह जुलाई, 2017 के आवंटन आदेश के क्रम में माह जुलाई, 2017 हेतु जिला बून्दी को 1,066.8 मै0 टन का अतिरिक्त आवंटन किया जाता है शेष अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

अम

13.07.2017

(आकाश तोमर)  
उपायुक्त (द्वितीय)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलक्टर, बून्दी।
5. महाप्रबन्धक, (क्षेत्र) क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, 4 नेहरू प्लेस, टॉक रोड जयपुर को भेजकर लेख है कि बून्दी जिलें को आवंटित अतिरिक्त खाद्यान्न की मात्रा की राशि जमा करने एवं उठाव की अवधि दिनांक 15.07.2017 तक बढ़ाने का श्रम करें।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि0, जयपुर।
7. जिला रसद अधिकारी, बून्दी को प्रेषित कर लेख है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अतिरिक्त आवंटित गेहूं की मात्रा का निश्चित अवधि में राशि जमा कराकर उठाव सुनिश्चित करायें।
8. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. जयपुर को भेजकर लेख है कि जिला बून्दी को उनके द्वारा भेजे गये पत्र (संलग्न) में उल्लेखित उचित दुकानवार अतिरिक्त खाद्यान्न की मात्रा का ऑनलाईन आवंटन करने का श्रम करें।
9. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को संबंधित को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाईटर का अपलोड करने हेतु।
10. रक्षा पत्रिका।

उपायुक्त (द्वितीय)